रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09112022-240108
CG-DL-E-09112022-240108

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 718] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 7, 2022/कार्तिक 16, 1944
No. 718] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 7, 2022/KARTIKA 16, 1944

## कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

## (कृषि एवं किसान कल्याण विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्तूबर, 2022

**सा.का.नि 806(अ).**—केन्द्रीय सरकार कीटनाशी अधिनियम, 1968 (1968 का 46) की धारा 36 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कीटनाशी नियम, 1971 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित प्रारूप नियम का प्रस्ताव करती है, उक्त धारा की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों जिनकी उससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिए प्रकाशित किए जाते हैं और सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित, इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, तीस दिनों की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ;

ऐसे आक्षेपों और सुझावों पर, जो तीस दिनों की पूर्वोक्त अवधि के समाप्त होने से पहले उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में, किसी व्यक्ति से प्राप्त हो सकेंगे, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा ;

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में आक्षेपों और सुझावों को संयुक्त सचिव (वनस्पति संरक्षण) कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन, नई दिल्ली-110001 अथवा jspp-dac@gov.in पर ईमेल के माध्यम से भेजे जा सकते हैं।

### प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम कीटनाशी संशोधन नियम, 2022 है।

(2) यह राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

परन्तु यह कि कोई भी व्यक्ति इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से छह माह की समाप्ति के पश्चात् किसी ऐसे लेबल या पत्रक का उपयोग नहीं करेगा जो इन नियमों के अनुसार संशोधित नहीं किये गये हैं:

परंतु यह भी कि ऐसे लेबल या पत्रक लगे किसी कीटनाशक या इसका पैकेज जो इन नियमों के अनुसार संशोधित नहीं किए गए हैं, इन नियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात बिक्री अथवा भंडारण हेतु वितरित, बेचे, प्रदर्शित नहीं किया जाएगा ।

2. कीटनाशी नियम, 1971 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 19 के उपनियम (1) में,-

(क) खंड (i) में, -

(1) उपखंड (क) में, कोष्ठक के बाद, शब्द "ब्रांड नाम सामान्य नाम के 1.5 गुना आकार से बड़ा नहीं होना चाहिए" शब्दों के साथ प्रतिस्थापित किया जाएगा "ब्रांड नाम और सामान्य नाम को समान महत्व दिया जाएगा" ।

(2) उपखंड (ब) में, पहले परंतुक के बाद, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा:

"परन्तु यह कि क्यूआर कोड को खुदरा पैक (प्राथमिक या द्वितीयक जैसा भी मामला हो) पर उपयुक्त स्थान पर लगाया जा सकता है जहां मोबाइल फोन जैसे उपकरणों से क्यूआर कोड को स्कैन करने पर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एक वेब लिंक या यूआरएल खोलने के लिए लिंक दिखाई देगा, जिसे दबाने/क्लिक करने पर उपयोगकर्ता को लेबल और पत्रक की पूरी अनूठी जानकारी मिल जाएगी। क्यूआर कोड में कम से कम निम्नलिखित जानकारी होनी चाहिए:

(क) विशिष्ट पहचानकर्ता या जीटीआईएन

(ख) बैच संख्या

(ग) निर्माण की तारीख

(घ) समाप्ति की तारीख

(ङ) वेब लिंक/यूआरएल

(3) टिप्पण II में: तीसरे अनुच्छेद की दूसरी पंक्ति में "चित्र लिपि होगी" शब्दों के बाद, निम्नलिखित शब्द डाले जाएंगे " परन्तु यह कि केवल अति लघु पैक के लेबल के संबंध में चित्र लिपि का आकार आधा वर्ग सेंटीमीटर (0.5 सेमी x 0.5 सेमी) हो"।

(ख) खंड (i) और (ii) में, "जब तक अन्यथा न कहा गया हो" शब्द हटा दिया जाएगा ।

(ग) खंड (iii) में, उपखंड (अ) में, निम्नलिखित परंतुक डाला जाएगा:

"परन्तु यह कि अति लघु पैकेज के लिए, एक द्वितीयक पैक में कई प्राथमिक पैककिंग पैक किए जा सकते हैं और निर्माता यह सुनिश्चित करेगा कि प्रत्येक प्राथमिक पैक को एक द्वितीयक पैक में पैक करने से पहले पत्रक और क्यूआर कोड को प्रत्येक प्राथमिक पैक पर सुरक्षित रूप से संलग्न किया जाएगा।"

3. नियम 19 के, उपनियम (3) में, निम्नलिखित परंतुक अंत:स्थापित किया जाएगा:

परन्तु यह कि अति लघु पैकेज के लिए, उक्त वर्ग के आयाम 2.25 वर्ग सेंटीमीटर (1.5 सेमी x1.5 सेमी) से कम न हों।

[फा.सं.13035/33/2019-पीपी-I]

डॉ. प्रमोद कुमार मेहरदा, संयुक्त सचिव

**नोट:** मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में संख्या सा.का.नि. 1650 (अ), दिनांक 19 अक्टूबर, 1971 में प्रकाशित किए गए तथा इसमें निम्न द्वारा और संशोधन किया गया:-

1. सा.का.नि. 474 (अ), दिनांक 24 जुलाई, 1976,

2. सा.का.नि. 736 (अ), दिनांक 9 दिसंबर, 1977,

3. सा.का.नि. 1064 (अ), दिनांक 7 नवंबर, 1988,

4. सा.का.नि. 533 (अ), दिनांक 6 अगस्त, 1993,

5. सा.का.नि. 371 (अ), दिनांक 20 मई, 1999,

6. सा.का.नि. 372 (अ), दिनांक 20 मई, 1999,

7. सा.का.नि. 586 (अ), दिनांक 12 अगस्त, 1999,

8. सा.का.नि. 548 (अ), दिनांक 12 सितंबर, 2006,

9. सा.का.नि. 692 (अ), दिनांक 7 नवंबर, 2006,

10. सा.का.नि. 128 (अ), दिनांक 26 फरवरी, 2009,

11. सा.का.नि. 174 (अ), दिनांक 5 मार्च, 2010,

12. सा.का.नि. 474 (अ), दिनांक 11 जुलाई, 2013,

13. सा.का.नि. 797 (अ), दिनांक 13 नवंबर, 2014,

14. सा.का.नि. 840 (अ), दिनांक 5 नवंबर, 2015,

15. सा.का.नि. 164 (अ), दिनांक 15 फरवरी, 2016,

16. सा.का.नि. 794 (अ), दिनांक 12 अगस्त, 2016,

17. सा.का.नि. 79 (अ), दिनांक 27 जनवरी, 2017,

18. सा.का.नि. 106 (अ), दिनांक 1 फरवरी, 2017,

19. सा.का.नि. 1229 (अ), दिनांक 4 अक्टूबर, 2017,

20. सा.का.नि. 1588 (अ), दिनांक 22 दिसंबर, 2017

21. सा.का.नि. 399 (अ), दिनांक 20 अप्रैल, 2018,

22. सा.का.नि. 1204 (अ), दिनांक 13 दिसंबर, 2018

23. सा.का.नि. 11 (अ), दिनांक 4 जनवरी, 2019,

24. सा.का.नि. 535 (अ) दिनांक 30 जुलाई, 2019

25. सा.का.नि. 782 (अ) दिनांक 14 अक्टूबर, 2019,

26. सा.का.नि. 07 (अ) दिनांक 2 जनवरी, 2020,

27. सा.का.नि. 355 (अ) दिनांक 5 जून, 2020

28. सा.का.नि. 805 (अ) दिनांक 30 दिसंबर 2020,

29. सा.का.नि. 620 (अ) दिनांक 08 सितंबर 2021 और

30. सा.का.नि. 39 (अ) दिनांक 24 जनवरी, 2022 ।

**MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE**

**(Department Of Agriculture And Farmers Welfare)**

**NOTIFICATION**

New Delhi, the 27th October, 2022

**G.S.R. 806(E).—**The following draft rules further to amend the Insecticides Rules, 1971, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 36 of the Insecticides Act, 1968 (46 of 1968), is hereby published, as required by the said section, for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft rules shall be taken into consideration after the expiry of thirty days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to the public;

The objections or suggestions which may be received from any person in respect of the said draft rules before the expiry of the aforesaid period of thirty days will be considered by the Central Government;

Objections and suggestions in respect to the said draft rules may be forwarded to the Joint Secretary (Plant Protection), Ministry of Agriculture and Farmers Welfare, Department of Agriculture and Farmers Welfare, Krishi Bhawan, New Delhi-110001 or through email at jspp-dac@gov.in.

**DRAFT RULES**

1. Short Title and Commencement. - (1) These rule may be called the Insecticides (Amendment) Rules, 2022.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

Provided that no person shall use a label or leaflet that has not been amended in accordance with these rules after the expiry of six months from the date of coming into force of these rules:

Provided also that no insecticide or its package bearing a label or leaflet that has not been amended in accordance with these rules shall be distributed, sold, exhibited for sale or stocked, after the expiry of one year from the date of coming into force of these rules.

2. In the Insecticides Rules, 1971 (hereinafter referred as the said rules) in sub-rule (1) of rule 19,-

(a) in clause (i),-

(1) in sub-clause (a) , after the bracket , the words "The Brand name shall not be of bigger size than 1.5 times size of common name" shall be substituted with the words " Equal prominence shall be given to the Brand name and Common name".

(2) in sub-clause (w) , after the first proviso, following proviso shall be inserted:

"Provided that QR Code can be placed on retail pack (Primary or Secondary as the case may be) at suitable place where on scanning the QR code by scanning equipments like mobile phones, a web link or link for opening the URL of the Manufacturing company will appear, on pressing /clicking of which, will take the user to the entire unique information of label and leaflet. The QR code shall contain at least the following information:

(a) Unique Identifier or GTIN

(b) Batch Number

(c) Date of Manufacturing

(d) Date of Expiry

(e) Web link/URL

(3) in Note II : in the second line of third para after the words "minimum size", following words shall be inserted "provided that the size of pictograms shall be half- square centimeter (0.5 cm x 0.5 cm) in respect of labels of ultra-small packs only".

(b) in Clause (i) and (ii), the word "unless stated otherwise" shall be deleted.

(c ) in clause (iii), in sub-clause (a), following proviso shall be inserted:

Provided that for ultra-small packs, multiple primary packs may be packed in one secondary pack and the manufacturer shall ensure leaflet and QR code shall be securely attached with each primary pack before packing them in one secondary pack.

3. In sub-rule (3) of rule 19, following proviso shall be inserted:

Provided that for ultra-small packs, the dimensions of the said square shall be of dimensions not less than 2.25 square centimeters (1.5cm x1.5 cm).

[F. No. 13035/33/2019-PP-I]

Dr. PRAMOD KUMAR MEHERDA, Jt. Secy.

**Note:-** The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 1650(E), dated the 19th October, 1971 and subsequently amended vide:-

1. G.S.R. 474(E), dated 24th July, 1976,
2. G.S.R. 736(E), dated 9th December, 1977,
3. G.S.R. 1064(E), dated 7th November, 1988,
4. G.S.R. 533(E), dated 6th August, 1993,
5. G.S.R. 371(E), dated 20th May, 1999,

6. G.S.R. 372(E), dated 20th May, 1999,
7. G.S.R. 586 (E), dated 12th August, 1999
8. G.S.R. 548(E), dated 12th September, 2006,
9. G.S.R. 692(E), dated 7th November, 2006,
10. G.S.R. 128(E), dated 26th February, 2009,
11. G.S.R. 174(E), dated 5th March, 2010,
12. G.S.R. 474(E), dated 11th July, 2013,
13. G.S.R. 797(E), dated 13th November, 2014,
14. G.S.R. 840(E), dated 5th November, 2015,
15. G.S.R. 164(E), dated 15th February, 2016
16. G.S.R. 794 (E), dated 12th August, 2016,
17. G.S.R.79(E), dated 27th January, 2017,
18. G.S.R. 106(E), dated 1st February, 2017
19. G.S.R. 1229(E), dated 4th October, 2017,
20. G.S.R. 1588(E), dated 22nd December, 2017,
21. G.S.R. 399(E), dated 20th April, 2018,
22. G.S.R.1204 (E), dated 13th December, 2018,
23. G.S.R.11(E), dated 4th January, 2019,
24. G.S.R. 535(E) dated 30th July, 2019,
25. G.S.R. 782(E) dated 14th October, 2019,
26. G.S.R. 07(E) dated 2nd January, 2020,
27. G. S. R. 355(E) dated 5th June, 2020
28. G.S.R. 805(E) dated 30th December, 2020
29. G.S.R 620(E) dated 08th September, 2021 and
30. G.S.R 39(E) dated 24th January, 2022.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2022.11.09 15:02:45 +05'30'